



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165212

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7732/2026

प्रदीप कुमार यादव उर्फ दीपक यादव

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक टण्डन, महेन्द्र सिंह, विवेक कुमार

श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0314 वर्ष 2025, धारा 85, 115(2), 352, 351(3), 75(2), 64(1), 82(1) बी.एन.एस., थाना सराय इनायत, जनपद प्रयागराज के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

4- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक कथित पीड़िता/सूचनाकर्ता का देवर है। घटना 26.04.2025 से 12.07.2025 के मध्य घटित होना कथित है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 06.09.2025 को विलंब से दर्ज कराई गई। संक्षेप में आरोप यह है कि पीड़िता को कथित रूप से धोखा दिया गया और उसका विवाह आवेदक के भाई के साथ करा दिया गया, जबकि वह पहले से विवाहित था। आवेदक के विरुद्ध पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न के लिए उकसाने का कोई आरोप नहीं है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सह-अभियुक्ता सुशीला देवी, जो पीड़िता/सूचनाकर्ता की सास है, को इस न्यायालय द्वारा आज Criminal Misc. Anticipatory Bail Application No. - 3540 of 2026 (Sushila Devi Vs. State of U.P. and Another) में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया। तथापि, वह आवेदक के किसी आपराधिक पूर्ववृत्त की ओर संकेत नहीं कर सके।

6- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया।

7- आवेदक पीड़िता का देवर है। आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है और केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। सह-अभियुक्त प्रताप बहादुर यादव, जो पीड़िता के ससुर तथा आवेदक के पिता हैं, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 34809/2025 में नियमित जमानत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्ता सुशीला देवी, जो पीड़िता/सूचनाकर्ता की सास है, को इस न्यायालय द्वारा आज पारित आदेश के माध्यम से आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या- 3540/2026 (सुशीला देवी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य) में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

8- प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-अभियुक्त प्रताप बहादुर यादव, जिसे बी.एन.एस. की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज बयान में पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने की भूमिका सौंपी गई है, को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित समझता हूँ।

9- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10- आवेदक-**प्रदीप कुमार यादव @ दीपक यादव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i- आवेदक जब भी अपेक्षित किया जाए, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर कोई दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

11- उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

7 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला